न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी—वीरेन्द्र सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 89/23 निर्णय दिनांकः— 17-11-2023
(जीसीएमएस संख्या 2023/130)

1. आदूराम पुत्र मूलाराम जाति जाट निवासी लालमदेसर छोटा तहसील नोखा जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, छत्तरगढ़।

—रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 28—105—1999
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर

उपस्थितिः—

1. श्री ओम जाखड़, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलाप चन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 28—05—1999 जिसके द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन प्रार्थना पत्र बिना सुने एकतरफा तौर पर खारिज किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा तहसील कोलायत में चक 2 केडब्ल्यूएसएम के मुरब्बा नम्बर 91/63 के किला नम्बर 1 ता 25 तादादी 25 बीघा भूमि बतौर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

विशेष आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तत किया गया। उक्त आवेदन पत्र के साथ अपीलांट द्वारा तमाम सबूत भी प्रस्तुत किये गये थे। अदालत मातहत द्वारा तत्पश्चात् अपीलांट को बिना सूचना दिये प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि प्रार्थी द्वारा 35 प्रतिशत राशि जमा नहीं करवाये जाने कारण आवंटन की कार्यवाही नहीं की जा सकती है। अतः प्रार्थी का आवेदन पत्र खारिज किया जाता है।

इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है। अपीलांट ने जब अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तब न तो कोई तारीख पेशी बताई गई थी तथा ना ही यह कथन किया गया था कि आवेदित रकबा आज दिनांक को भी शुद्व रूप से आराजीराज दर्ज रिकार्ड है। अपीलांट आज दिनांक को भी वादगत् भूमि के आवंटन हेतु राशि मय ब्याज भुगतान करने को तैयार है। चूंकि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 28–05–1999 के विरूद्व अपील दिनांक 10–04–23 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र उपस्थित नहीं आने के कारण व 35 प्रतिशत राशि जमा नहीं करवाये जाने के कारण खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 28–05–1999 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 10–04–2023 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अपीलांट को उसका आवेदन खारिज करने से पूर्व किसी प्रकार की कोई सूचना अथवा नोटिस जारी नहीं करते हुए आवेदन खारिज किया गया है। अपीलांट एक ग्रामीण पृष्ठभूमि का काश्तकार व्यक्ति है। जिससे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती वे न्यायालय के दिन–प्रतिदिन की कार्यवाही की जानकारी रखे। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर पारित किये जाने के कारण प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर

प्रकरण में अपीलांट ने आवंटन अधिकारी के समक्ष बतौर विशेष आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तत करते 2 केडब्ल्यूएसएम के मुरब्बा नम्बर 91/63 के किला नम्बर 1 ता 25 तादादी 25 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई थी। आवंटन अधिकारी द्वारा अपीलांट के विशेष आवंटन के प्रार्थना पत्र अपीलांट को वादगत् भूमि का आवंटन भी कर दिया गया। तत्पश्चात् आवंटन अधिकारी द्वारा अपीलांट का आवंटन 35 प्रतिशत राशि जमा नहीं करवाई जाने के कारण निरस्त कर दिया गया।

इसके विपरीत अपीलांट का मुख्य कथन है कि अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है ना ही कोई नोटिस जारी किया गया। यदि किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी भी किया गया है तो विधिवत रूप से उसकी तामील अपीलांट को नहीं करवाई गई है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

इस संबंध में अदालत मातहत की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में जारी किये गये चालान की प्रति अथवा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट को जारी किसी भी प्रकार के नोटिस की प्रति संलग्न नहीं है। ऐसी स्थिति में यह साबित नहीं होता है कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को किसी प्रकार का कोई नोटिस अथवा चालान आवंटन अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। आवेदक से आवेदन प्राप्त करने के उपरान्त आगामी कार्यवाही से सूचित नहीं किया। एकतरफा तौर पर आवंटन खारिज कर दिया गया। आवंटन पत्रावली में खारिजी आदेश से आवेदक को सूचित करने का कोई उल्लेख नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमानी पूर्ण तरीके से पारित किया गया आदेश होने से पुष्टि योग्य आदेश नहीं है। विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा दौराने बहस कथन किया गया कि वादग्रस्त भूमि अन्य किसी को आवंटित नहीं होकर आज दिनांक को भी राजस्व रिकार्ड में शुद्व रूप से आराजीराज दर्ज रिकार्ड है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 28–05–1999 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट की पात्रता कायम रखते हुए, वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकार्ड में आराजीराज दर्ज होने की स्थिति में अपीलांट के आवेदन का विधि सम्मत तरीके से निस्तारण करें।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 17.11.23 को सरे इजलास सुनाया गया।

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर